भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 105

(जिसका उत्तर मंगलवार, 5 मई, 2015 को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत किए गए व्यय को कर से छूट देना

***105. डा. प्रदीप कुमार बालमुचू :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि कर से छूट के अंतर्गत नहीं आती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी कंपनी ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कार्यकलापों पर व्यय की गई धनराशि पर सरकार से कर से छूट प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत किए गए व्यय को कर से छूट देने से संबंधित दिनांक 05 मई, 2015 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 105 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) : कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कंपनियों द्वारा किए गए व्यय के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर लाभ का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में शामिल किए गए अनेक कार्यकलाप जैसे ग्रामीण विकास परियोजनाओं, दक्षता विकास परियोजनाओं, कृषि विस्तार परियोजनाओं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किए गए अंशदान आदि पर कंपनियों द्वारा किया गया व्यय, आदि निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक उपबंधों के अंतर्गत कर में छूट के लिए पात्र हो सकते हैं।

(ग) और (घ) : सीएसआर कार्यकलापों पर खर्च की गई धनराशि के लिए कर में छूट देने का अनुरोध करते हुए वित्त मंत्रालय में वर्ष 2014 और 2015 के दौरान प्राप्त अनेक अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है परंतु उन्हें स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया।

*****